रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 281] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 7, 2008/श्रावण 16, 1930

No. 281] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 7, 2008/SRAVANA 16, 1930

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(पिछड़ा वर्ग प्रभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2008

फा. सं. 20012/10/2007-बी.सी.सी.—भारत सरकार ने राजपत्र अधिसूचना सं. 20012/10/2003-बी.सी.सी., दिनांक 6 जनवरी, 2004 के तहत मौजूदा आरक्षण नीति के अंतर्गत शामिल न किए गए आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों हेतु आयोग को जारी रखने और निम्नलिखित निबंधन एवं शर्तों के साथ अधिसूचना सं. 20012/10/2003-बी.सी.सी., दिनांक 3 मार्च, 2005 के तहत पुनर्गठित और आयोग के कार्यकाल को 1-8-2008 से एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने का संकल्प लिया है :

(क) इस विषय पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों और अन्य आयोगों के विचार प्राप्त करना;

(ख) आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मानदण्डों का सुझाव देना;

(ग) शिक्षा और सरकारी रोजगार में उपयुक्त सीमा तक कल्याणकारी उपाय और आरक्षण की मात्रा की सिफारिश करना; और

(घ) उनकी सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित आवश्यक संवैधानिक, वैधानिक तथा प्रशासनिक क्रिया-विधियों का सुझाव देना।

2. आयोग भारत सरकार द्वारा आयोग को सुपुर्द एवं अनुमोदित कार्य के अनुसार कार्य को समय अनुसूची के अनुसार पूरा करेगा और 1-8-2008 से एक वर्ष की अनुबद्ध अवधि के भीतर अपने विचार-विमर्शों और सिफारिशों की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

डॉ. विनोद अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(Backward Class Division)

RESOLUTION

New Delhi, the 7th August, 2008

F. No. 20012/10/2007-BCC.—The Government of India has resolved to continue the Commission for Economically Backward Classes not covered under the existing Reservation Policy constituted *vide* Gazette Notification No. 20012/10/2003-BCC, dated 6th January, 2004 and reconstituted *vide* Notification No. 20012/10/2003-BCC, dated 3rd March, 2005 and extended the term of the Commission for a period of one year w.e.f. 1-8-2008 with the following terms and conditions :

(a) to elicit the views of State Governments/UTs and other Commissions on the subject;

(b) to suggest criteria for identification of economically backward classes;

(c) to recommend the welfare measures and quantum of reservation in education and Government employment to the extent as appropriate; and

(d) to suggest the necessary constitutional, legal and administrative modalities as required for the implementation of their recommendations.

2. The Commission will complete the work entrusted to it as per time schedule submitted by Commission and approved by Government and will submit the report of it's deliberations and recommendations within the stipulated period of one year w.e.f. 1-8-2008.

Dr. VINOD AGGARWAL, Jt. Secy.

2989 GI/2008

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.